**संख्या:62/2026/805/कृशिअ-67-1002(099)/164/2019**

प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
बांदा ।

**कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग** **लखनऊः दिनांकः 15 अप्रैल, 2026**

विषयः बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के अन्तर्गत निर्माणाधीन कृषि अभियांत्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के पत्र सं0-73/एफसी /2026, दिनांक 02.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के अन्तर्गत कृषि अभियांत्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या:127/67-कृशिअ-11-1500(38)/10, दिनांक 21.01.2011 द्वारा रू0 8923.94 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा रू0 6328.01 लाख की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त की गयी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या:358/67-कृशिअ-11-1500(38)/10, दिनांक 28.02.2011 द्वारा पूर्व निर्गत वित्तीय स्वीकृति को संशोधित करते हुए रू0 5328.01 लाख की व्यय करने की अनुमति प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय वित्त समिति द्वारा प्रायोजना की पुनरीक्षित अनुमोदित लागत रू.9540.94 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या:2250949/2022/ कृशिअ-67-1002(099)/164/2019, दिनांक 04 मार्च, 2023 तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश संख्या:2598959/2023/कृशिअ-67-1002(099)/164/2019, दिनांक 29.11.2023 द्वारा रू0 200.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासनादेश संख्या-30169261/2024/कृशिअ-67-1002(099)/164/2019, दिनांक 10.12.2024 द्वारा रू0 200.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासनादेश संख्या-40/2025/3341986/ कृशिअ-67-1002(099)/164/2019, दिनांक 01.05.2025 द्वारा रू0 200.00 लाख तथा शासनादेश संख्या:3/ 2026/2433/कृशिअ-67-1002(099)/164/2019, दिनांक 16.01.2026 द्वारा अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख सहित अब तक रू0 6328.01 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू. 3212.93 लाख में से प्रश्नगत परियोजना की 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 475.83 लाख को रोकते हुए परियोजना की अवशेष धनराशि रू0 2712.68 (रूपये सत्ताइस करोड़ बारह लाख अड़सठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

**नियम व शर्तो/प्रतिबन्धों**

1. भविष्य में प्रायोजना का कोई भी पुनरीक्षिण कार्य स्वीकार्य नहीं होगा।
2. परियोजना के संबंध में निर्गत उपर्युक्त शासनादेशों में अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की लोक लेखा समिति (2025-26) की दिनांक 09.04.2026 को सम्पन्न बैठक में निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम लि0, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रश्नगत परियोजना को 06 माह में पूर्ण कराये जाने का आश्वासन मा0 समिति को दिया गया है। तद्नुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रश्नगत परियोजना के कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से 06 माह के अन्दर पूर्ण कराकर परियोजना को विश्वविद्यालय को हस्तगत कराया जाय। परियोजना हस्तगत कराये जाने के उपरान्त 05 प्रतिशत की धनराशि निर्गत की जायेगी।

4. प्रायोजनान्तर्गत वर्क टू बी डन में 12 प्रतिशत की दर से निर्माण लागत पर जी0एस0टी0 की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र-177/09/2022 TRU दिनांक 03.08.2022 के अनुसार सिविल निर्माण कार्यों पर दिनांक 18.07.2022 से जी.एस.टी. की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी, जिसके दृष्टिगत वर्क टू बी डन पर 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 अनुमन्य कर किया गया है। वर्क डन पर 12 प्रतिशत की दर से ही जी0एस0टी0 अनुमन्य की गयी है। जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
5. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित मानक के अनुसार पूर्ण कराया जाय।
6. प्रायोजनान्तर्गत ट्रांसफार्मर एवं ब्लैक बोर्ड की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। अतः विश्वविद्यालय से अपेक्षित है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।
7. पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था का होगा।
8. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
11. स्वीकृत धनराशि के व्यय के संबंध में व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार /निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
13. स्वीकृत धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
14. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अधीन जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
15. प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
16. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व रहेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. उक्त अनुदान का देयक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा। देयक को जिलाधिकारी, बांदा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा इसका भुगतान किया जायेगा।
19. स्वीकृत धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक-28-03-2026 में उल्लिखित शर्तों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 27,12,68,000 ( रुपये सत्ताईस करोड़ बारह लाख अड़सठ हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 4415802772906 कृषि अभियांत्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

**संख्या व दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ /प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी / कोषाधिकारी बांदा।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,बांदा ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ ।
6. निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस., जल निगम,लखनऊ / बांदा।
7. सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.g

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।